न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 80/2017

1. फूलचंद उर्फ रामफुल
2. गोपाल
3. श्रीमति लछमा देवी बेवा ओंकार (मृतका)

समस्त जाति मीणा, निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा, झोडलाल की ढाणी, सांगानेर, जिला जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. महादेव
2. बाबूलाल — पुत्रान भौरिया
3. श्रीमति गंगा देवी पत्नी स्व. पांचू (नाम हजफ आदेश 06/07/17)
4. बद्रीनारायण
5. लक्ष्मीनारायण — पुत्रान पॉचू
6. सीताराम पुत्र बाछया
7. श्रीमति सुन्दर देवी पत्नी बाछया (नाम हजफ आदेश 06/07/17)
8. श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. नाथूलाल
9. कानाराम पुत्र नाथूलाल
10. आकाश पुत्र नाथूलाल ना. संरक्षिका माता लक्ष्मी देवी पत्नी नाथूलाल
11. मोहन
12. कालू
13. राजू
14. रामजीलाल — पुत्रान मंगला
15. श्रीमति जाना देवी पत्नी मंगला
16. तारा
17. प्रभाती — पुत्रीयान– स्व. मंगला

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम खोखावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 20.09.2003 बाबत नायब तहसीलदार सांगानेर के आदेश दिनांक 25.08.2006 से व्यथित होकर।

—

निर्णय दिनांकः 19.04.2018

अपीलांट्स ने यह अपील नायब तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 25.08.2006 जिससे ग्राम खोखावास तहसील सांगानेर स्थित कृषि भूमि मूल खसरा नंबर 531/2, 544/2, 678/2 कुल किता 3 कुल रकबा 0.54 हैक्टेयर भूमि का नामान्तकरण संख्या 85 तस्दीक पर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 17.4.2006 के आधार पर निरस्त किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.06.2013 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में प्रस्तुत की गयी। अपील अपीलांट्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट जारी करने तथा मूल मिसल अधीनस्थ न्यायालय तलब करने के आदेश दिये गये। जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 30.03.2017 की अनुपालना में स्थानान्तरित होकर पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट संख्या–1, 2, 4, 5, 6, 8 लगायत 14, 16, 17 की ओर से श्री रामजीलाल चौधरी व श्री सुबोध जैन, अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पाडेन्ट संख्या 15 बावजूद

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण की छायाप्रति प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सांगानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2006 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम खोखावास तहसील सांगानेर स्थित खसरा नं0 506, 507, 416, 517, 530 से 535, 537, 538, 541 से 546, 549, 675, 681 कुल किता 27 रकबा कुल 7.07 हैक्टर स्थित खातेदारान बाछया, ओंकार, मंगला, पांचू, महादेव, बाबूलाल पुत्रान भौरिया जाति मीणा निवासी ग्राम खोखावास तहसील सांगानेर की खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है। अपीलांट्स ने अपने स्वयं के हिस्से की 1/6 भूमि में से 0.64 हैक्टर भूमि बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. को विकय कर दी शेष भूमि रकबा 0.54 हैक्टर अपीलांट्स के पास रही एवं उक्त भूमि को रिज्यूम से मुक्त रखा गया। रेस्पोडेंट ने अपने हिस्से की 5/6 हिस्से की भूमि हथरोई गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 को जरिये इकरारनामा दिनांक 27 सितम्बर 2001 के विकय कर कब्जा भूमि का संभलवा दिया। उक्त भूमि में अपीलार्थीगण के हिस्से की 1/6 की भूमि में से 0.54 हैक्टर भूमि धारा 90 बी की कार्यवाही होकर जे.डी. ए. जयपुर में रिज्यूम हो चुकी है। इस बाबत उपायुक्त 9 ने दिनांक 31.03.2000 को मौका स्थिति का निरीक्षण कर अपीलांट्स की ख.न. 531, 544 678 कुल रकबा 0.54 है0 को छोडकर शेष समस्त भूमि का अधिग्रहण कर लिया। विवादित भूमि की न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर की मिसल संख्या 84/2004 एवं 85/2004 निर्णय दिनांक 17.04.2006 में दोनो अपीलों को निस्तारित करते हुए प्राधिकृत अधिकारी जोन 9 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर का आदेश दिनांक 04.04.2003 जिससे अपीलांट्स के हक में भूमि की खातेदारी मानी गई एवं उक्त जे0डी0ए0 के आदेश के आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 85 से अपीलान्ट्स के हक में नामान्तकरण तस्दीक किया जिसको निरस्त करते हुए प्रकरण को प्राधिकृत अधिकारी जोन 9 जे0डी0ए0 जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया कि पक्षकारान/सभी खातेदारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाकर उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। तत्कालीन नायब तहसीलदार सांगानेर ने माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय का नोट अंकित कर नामान्तकरण को निरस्त किया। सभी खातेदारो के नाम भूमि वापिस होने से रेस्पाडेन्ट्स द्वारा अपने अधिकारो के लिए जे.डी.ए. में चाराजोई करनी चाहिए थी जो कि नहीं की जाकर खातेदारी अधिकार के आधार पर तकासमा का वाद पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिसके नोटिस प्राप्त होने से नामान्तकरण दिनांक 25.08.2006 की जानकारी हुई एवं नकल प्राप्त की जाकर नायब तहसीलदार सांगानेर के आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई जो कि जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद पेश की गई। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के निर्णय दिनांक 17.04.2006 से

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी जोन 9 जे.डी.ए. जयपुर को दिये गये निर्देश अनुपालना में सभी खातेदारान/पक्षकारान की सुनवाई की जाकर अपने निर्णय दिनांक 24.12.2013 में खसरा नंबर 531 रकबा 0.38 हैक्टर, ख.न. 544 रकबा 0.08 हैक्टर व ख.न. 678 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि की खातेदारी फूलचन्द उर्फ रामफूल, गोपाल पिता ओंकार, लक्ष्मा बेवा ओंकार कौम मीणा सा0 देह के नाम यथावत रखते हुए शेष भूमि 5.99 हैक्टर का पुर्नग्रहण किया जाना स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 24.12.2013 प्राधिकृत अधिकारी जोन 9 जे.डी.ए. जयपुर की प्रमाणित प्रति प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी न्यायालय हाजा में दिनांक 14.06.2017 को प्रस्तुत किया गया जो कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.11.2017 को स्वीकार किय गया। जिससे स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 85 निर्णय दिनांक 20.09.2003 की स्थिति बहाल रखी गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण की स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण आदेश/निर्णय दिनांक 25.08.2006 एवं इसके बाद स्वीकृत नामान्तकरण निरस्त फरमाये जावें। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन न्यायिक दृष्टान 2002 **RRD 966, 2015 part 1 RRd 506, 1991 RRD 606, 1992 RRD 173, AIR 1981 S.C. 1169** पेश किए।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट्स ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम को दोहराते हुए कथन किया कि अपील गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर करीब सात वर्ष बाद पेश की गई है। प्रश्नाधीन नामान्तकरण आदेश दिनांक 25.08.2006 की सर्वप्रथम जानकारी होने के वर्णित वाद में जारी तामील व सम्मनों के आधार पर दिनांक 21.06.2013 को तहरीर करना सर्वथा झूठ व मनघडन्त तथ्य है। प्रश्नाधीन नामान्तकरण संख्या 85 मुताबिक आदेश 25.08.2006 तस्दीक हुआ है वह मंगला बनाम जे.डी.ए. अपील संख्या 84/2004 एवं मंगला बनाम फूलचन्द अपील संख्य 85/2004 में पारित निर्णय की कियान्वति/अनुपालना में दिनांक 17.04.2006 के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट/प्रार्थी को दिनांक 17.04.2006 के दिन से बखुबी थी। अपील मियाद बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। हक अधिकार के लिए पूर्व में जे.डी.ए. द्वारा निर्णय पारित अधिग्रहण के किये गये है जिसमें अपीलांट्स व रेस्पाडेन्ट्स का हिस्सा बराबर होना स्पष्ट है। नायब तहसीलदार सांगानेर के आदेश दिनांक 25.08.2006 पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अपील मियाद बिन्दु व अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें। वकील रेस्पाडेंट ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान 2018 **RRD part 188, 2015 RRT vol. 1- 232** पेश किए।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में ग्राम खोखावास तहसील सांगानेर स्थित कृषि भूमि कुल किता 3 रकबा 0.54 हैक्टर का नामान्तकरण संख्या 85

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

दिनांक 20.09.2003 को न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन 9 जयपुर विकास प्राधिकरण के आधार पर अपीलार्थीगण के नाम पर तस्दीक किया गया। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के दो अपीलो में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2006 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 85 में नायब तहसीलदार सांगानेर ने आदेश दिनांक 25.08.2006 द्वारा खारिज कर दिया एवं इसके बाद अपीलाधीन भूमि के नामान्तकरण तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपीलाट्स एवं रेस्पोडेंट्स के नाम खोले गये। विद्वान अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अपीलार्थीगण के हिस्से की 1/6 भूमि में से 0.54 हैक्टर को छोडकर हथरोई गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 के बिहाफ पर धारा 90 बी की कार्यवाही को होकर भूमि जे. डी.ए जयपुर द्वारा रिज्यूम हो चुकी है। उक्त 0.54 हैक्टर भूमि में रेस्पोडेंट का कोई सरोकार नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर ने रेस्पोडेंट के नाम भूमि का अंकन कर नामान्तकरण तस्दीक किये है। उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जोन 9 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के प्रकरण 86/2006 में निर्णय दिनांक 24.12.2013 द्वारा अपीलाधीन भूमि की खातेदारी अपीलांट्स के नाम यथावत रखते हुए शेष भूमि 5.99 हैक्टर को पुर्नग्रहण किया जाना स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि में रेस्पोडेंट का सरोकार नहीं है। वकील रेस्पोडेंट ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन भूमि में अपना हिस्सा रखते हो। अपील अपीलान्टस जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किये जाने से अन्दर मियाद मानी जाती है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 85 पर पारित आदेश/निर्णय दिनांक 25.08.2006 एवं इसके बाद अपीलाधीन भूमि के तस्दीक नामान्तकरणको निरस्त करते हुये पत्रावली तहसीलदार, सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) की जाती है कि वह प्रकरण में उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जोन 9 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के प्रकरण संख्या 86/2006 में दिनांक 24.12.2013 को पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए उभय पक्ष की सुनवाई की जाकर, पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, यदि किसी न्यायालय से स्थगन आदेश एवं भूमि का रहन/मूर्तहीन आदि है तो उसे मध्यनजर रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त कलक्टर प्रथम,
एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम
कलक्ट्रेट, जयपुर

Scanned by CamScanner